

संख्या: शिक्षा (प्रा0)एच0 (6)3-10/2021
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला- 171001 जून, 2022

प्रेषित :- समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :- "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2021-22 हेतु निःशुल्क वर्दियों के आवंटन वारे दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र सम संख्यक दिनांक 24.11.2021, 12.01.2022 और 15.03.2022(प्रतिलिपि संलग्न) के सन्दर्भ में आपको अवगत किया जाता है, कि वर्ष 2021-22 हेतु "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत कक्षा पहली से बांहरवी के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क वर्दियों के दो-दो सेटस के आंबटन हेतु L-I कम्पनी **M/s Mafatlal Industries Ltd.** द्वारा समस्त स्कूल वर्दियों की आपूर्ति की जा चुकी है। अतः इस सन्दर्भ में आपको छात्र-छात्राओं में स्कूल वर्दियों के आंबटन हेतु पुनः निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. सभी उप निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा अपने-अपने जिले में आपूर्ति की गई स्कूल वर्दियों के सैटों को पूर्ण रूप से गणना करने के उपरान्त प्राप्त की गई वर्दियों के सेटों की सही-सही **stock entry** करना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ प्रत्येक स्कूल स्तर पर भी स्कूल वर्दियों की **stock entry** तथा छात्र-छात्रा वार आंबटन का रिकार्ड रखना भी सुनिश्चित करे।
2. विभाग द्वारा वर्दियों की सिलाई हेतु शिक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित आहरण एवम् वितरण अधिकारियों(DDO's) को बांछित बजट का आवंटन इस निदेशालय द्वारा दिनांक 07-11-2020 को किया गया है, जो कि विभाग की **Website** पर भी **upload** किया गया है। अतः आप सभी पात्र छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित 200/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा सिलाई की धनराशि समय पर उनके बैंक खातों के माध्यम से आंबटन करना सुनिश्चित करे तथा आंबटित धनराशि का छात्र-छात्रा वार प्रत्येक स्कूल स्तर पर **APR's** का रिकार्ड रखना सुनिश्चित करें तथा उसके उपरान्त ब्यय की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (**utilization cetificate**) सभी सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेगे कि आपके जिने में कोई भी विद्यार्थी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सिलाई की धनराशि से वंचित न रहे।
3. सभी उप निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा अपने-अपने जिले में यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कोई भी छात्र-छात्रा सरकार द्वारा निर्धारित 200/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा सिलाई की धनराशि से वंचित नहीं रहना चाहिए तथा यदि किसी छात्र-छात्रा का बैंक खाता नहीं है, तो उस स्थिति में आप ऐसे छात्र-छात्राओं को स्कूल वर्दियों की सिलाई (Stitching charges) हेतु विभाग द्वारा आवंटित बजट से प्रति छात्र-छात्रा निर्धारित मु0 200/- रुपये की धनराशि उनके माता-पिता (Preferebly Mothers) के बैंक खातों के माध्यम से सिलाई राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

1-15/1/22

4. "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं में वर्ष 2021-22 की स्कूल वर्दियों का आवंटन लैब टैस्टिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाएगा। लैब टैस्टिंग की रिपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व छात्र- छात्राओं में वर्दियों का आवंटन निर्धारित निर्देशों की अवहेलना व उलंघन समझा जाएगा, जिसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी Indenting Officers प्राप्त लैब टैस्टिंग रिपोर्ट का गहनता से परीक्षण करें तथा उसके उपरान्त ही आवंटन की प्रक्रिया को अमल में लाएं।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी जिला के उप निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) के पास उनके अधीन आने वाली पाठशालाओं से स्कूल वर्दियों की अतिरिक्त मांग (Additional Demand) आती है या उनके पास अधिशेष स्कूल वर्दियों के सेटस (surplus uniform sets) प्राप्त हुए हो, तो उस स्थिति में आप अपने-अपने जिला स्तर पर वर्दियों का पाठशालाओं में आन्तरिक समायोजन (Internal Adjustment) करना सुनिश्चित करें। यदि उसके उपरान्त भी आपके जिला में स्कूल वर्दियों की अतिरिक्त मांग हैं, तो अतिरिक्त स्कूल वर्दियों के सेटस की मांग (additional demand) इस निदेशालय को 10-06-2022 तक भेजना सुनिश्चित करे ताकि इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

संलग्न: उपरोक्त

(डा० भुवन शर्मा, हि०प्र०से०)
संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक जून, 2022
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रबंधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ब्लाक न० 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला-171009 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी अपने अधीनस्थ समस्त जिला उप निदेशक (उच्च शिक्षा) तथा सभी पाठशालाओं के प्रमुखों को इस सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा- निर्देश जारी करने की कृपा करें तथा कक्षा छठी से बाहरवीं (छात्र-छात्राओं) वार वर्ष 2021-22 हेतु अतिरिक्त स्कूल वर्दियों की मांग प्राप्त करके, जिलावार प्रस्ताव इस कार्यालय को 10.06.2022 तक भेजना सुनिश्चित करें।
4. शाखा अधिकारी (आई०टी०सैल) (आन्तरिक) से अनुरोध है कि वह इस पत्र को विभाग की Website में upload करने की कृपा करें।
5. रक्षक नस्ति।



(डा० भुवन शर्मा, हि०प्र०से०)
संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
१